रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-14012022-232644
CG-MH-E-14012022-232644

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 2022/पौष 24, 1943
No. 25] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 2022/PAUSHA 24, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 14 जनवरी, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2022

सं. **सेबी/ एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2022/64**.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं (1क) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा, और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 के तहत, प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में,—

I. विनियम 7 के उप-विनियम (1) में, शब्दों "नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉज़िटरीज़ लिमिटेड" के स्थान पर, शब्द "बोर्ड" आ जाएगा।

II. अध्याय VIII-क में, विनियम 43क के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,—

"दूसरे मामलों में विनियमों के कड़ाई से लागू होने से छूट

43ख. (1) बोर्ड स्वप्रेरणा से या विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा आवेदन किए जाने पर, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे, इन विनियमों के किसी प्रावधान के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ऐसी शर्तों के तहत छूट प्रदान कर सकेगा, जो बोर्ड निवेशकों तथा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के हित में और प्रतिभूति बाजार के विकास के लिए लगाना ठीक समझे, यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाए कि:

(क) पालन ऐसे कारणों से नहीं हो पाया, जो एंटिटी के नियंत्रण के बाहर थे; या

(ख) वह अपेक्षा प्रक्रिया-संबंधी अपेक्षा या तकनीकी अपेक्षा जैसी है।

(2) उप-विनियम (1) में यथा उल्लिखित आवेदन के साथ, 1,000 अमरीकी डॉलर की फीस (लौटाई न जाने वाली) बोर्ड के संबंधित बैंक खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से जमा करवाई जाएगी।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./580/2021-22]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/36 द्वारा, 23 सितम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 तत्पश्चात्,—

   (1) 19 दिसम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/44, द्वारा

   (2) 7 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/09, द्वारा

   (3) 17 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

   (4) 3 अगस्त 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

   (5) 3 अगस्त 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/32, द्वारा

   (6) 26 अक्तूबर 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/54, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 14th January, 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (FOREIGN PORTFOLIO INVESTORS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/64.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub section (1) of Section 11, clause (ba) of sub-section (2) of Section 11 and sub-sections (1) and (1A) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, and under Section 25 of the Depositories Act, 1996, the Securities and Exchange Board of India hereby, makes the following regulations, to further amend the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, namely,—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2022.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019,—

   I. In sub-regulation (1) of regulation 7, the words "National Securities Depositories Limited" shall be substituted with the word "the Board".

   II. In Chapter VIII-A, after regulation 43A, the following regulation shall be inserted, namely,–

   "Exemption from strict enforcement of the regulations in other cases.

   43B. (1) The Board may suo motu or on an application made by a foreign portfolio investor, for reasons recorded in writing, grant relaxation from the strict enforcement of any of the provisions of these regulations, subject to such conditions as the Board deems fit to impose in the interests of investors and the securities market and for the development of the securities market, if the Board is satisfied that:

   (a) the non-compliance is caused due to factors beyond the control of the entity; or

   (b) the requirement is procedural or technical in nature.

   (2) The application referred to under sub-regulation (1) shall be accompanied by a non-refundable fee of US $ 1,000 payable by way of NEFT/ RTGS/ IMPS or any other mode allowed by the Reserve Bank of India in the designated bank account of the Board."

[ADVT.-III/4/Exty./580/2021-22]

AJAY TYAGI, Chairman

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 were published in the Gazette of India on September 23, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/36.
2. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 were subsequently amended on, –
   (1) 19th December, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/44.
   (2) 7th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2020 vide No SEBI/LAD-NRO/GN/2020/09.
   (3) 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
   (4) 3rd August, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

(5) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/32.

(6) 26th October, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/54.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.01.14 21:32:14 +05'30'